

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

॥ अधिसूचना ॥

संचिका संख्या-18/विविध-05/2022-1131.....(18) स्वा०, पटना, दिनांक- 30/05/2025

भारत सरकार के सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 {The Surrogacy regulation Act 2021} की धारा 26, 27 एवं सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (The assisted reproductive technology (Regulation) act, 2021) की धारा 6 के आलोक में राज्य स्तरीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड (Surrogacy Board) के गठन का प्रावधान किया गया है। उक्त के आलोक में इस अधिनियम एवं नियमावली के सफल एवं सुचारु कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड (Surrogacy Board) का गठन निम्न रूपेण किया जाता है :-

राज्य स्तरीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड (Surrogacy Board) :-

1.	माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष (पदेन)
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बिहार सरकार	सदस्य (पदेन)
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार	सदस्य (पदेन)
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, बिहार सरकार	सदस्य (पदेन)
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी, गृह विभाग, बिहार सरकार	सदस्य (पदेन)
7.	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार सरकार	सदस्य (पदेन)
तीन माननीय महिला विधायक, बिहार विधान सभा सदस्य		
8.	a. श्रीमती शालनी मिश्रा, सदस्य, माननीय विधान सभा केसरिया, पूर्वी वम्पारण	सदस्य (पदेन)
	b. श्रीमती निवेदिता सिंह, सदस्य, माननीय विधान सभा परिषद, रोहतारा	सदस्य (पदेन)
	c. श्रीमती श्रेयसी सिंह, सदस्य, माननीय विधान सभा जमुई	सदस्य (पदेन)

२७

	राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप नियुक्त निम्नांकित क्षेत्रों के दस (10) विशेषज्ञ सदस्य :	
	a अनुवांशिकीविद (Eminent Medical Geneticists) या भ्रूण विज्ञानी (Embryologist)	
	(i). डॉ० संगीता Embryologist, IGIMS, Patna	सदस्य
	(ii). डॉ० दयानिधि कुमार, Embryologist, Indian IVF Group	सदस्य
	b स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (Eminent Gynecologists and obstetricians)	
	(i). डॉ० मंजू गीता मिश्रा, भूतपूर्व प्रोफेसर, पी०एम०सी०एच०, पटना	सदस्य
	(ii). डॉ० स्मृति स्पर्श, मुख्य सलाहकार, नोवा, आई०वी०एफ०, दानापुर, पटना	सदस्य
	c. सामाजिक विज्ञानी (Eminent Social Scientists)	
9.	(i). डॉ० रीता शर्मा, साकेत बिहार, मित्र मडल कॉलोनी, अनिशाबाद, पटना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता।	सदस्य
	(ii). श्रीमती अनुराधा गुप्ता, समाज सेवी, भूतपूर्व अध्यक्ष नगर परिषद सिवान।	सदस्य
	d. महिला कल्याण संगठन के प्रतिनिधि (Representatives of women welfare organizations)	
	(i). पद्म श्री डॉ० शांति राय, कंकडबाग, पटना।	सदस्य
	(ii). श्रीमती सीमा पाण्डेय, समाज सेवी (महिला राशक्तिकरण), फ्लैट न०-301, विमला इन्क्लव, गौरैया मठ, मीठापुर, पटना।	सदस्य
	e. महिला स्वास्थ्य एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिनिधि (Representatives from civil society working on women's health and child issues)	
	(i) श्रीमती मंजू सिन्हा, गुलमोहर मैत्री सस्था	सदस्य
	(ii) श्रीमती शशि बलडिहार, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री, परशुराम नगर कॉलोनी पटना रणदिव विधान सभा, पटना।	सदस्य
	विशेष सचिव / अपर सचिव / सयुक्त सचिव (विषय-प्रभारी), स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	सदस्य (पदेन)
10	(i) अपर जूनियर प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-18, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	

कार्य :-

(1) राज्य में क्रियाशील समुचित प्राधिकार (Appropriate authority) के कार्यों का अनुश्रवण तथा समीक्षा करना। उनके विरुद्ध पाये गये शिकायतों पर समुचित कार्रवाई हेतु अनुशंसा करना।

(2) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 एवं सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों और इसके तहत बनाये गये नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा/निगरानी करना तथा समुचित प्राधिकार/बोर्ड को इससे संबंधित समुचित अनुशंसा करना।

(3) उक्त अधिनियम के तहत राज्य में निष्पादित विभिन्न गतिविधियों/कार्यों के संबंध में केन्द्र सरकार को समेकित प्रतिवेदन भेजना।

(4) ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर विहित किया जाय।

(5) अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये कार्यों को उपाध्यक्ष के द्वारा सम्पादन किया जायेगा।

(6) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 एवं सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्णय लेना।

बैठक :-

(1) बैठक की कार्यवाही प्रत्येक चार माह पर की जायेगी।

(2) अध्यक्ष स्वयं उक्त सभी प्रकार के बैठकों के अध्यक्षता करेंगे उनके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की कार्यवाही का संवाहन करेंगे।

कार्यकाल :-

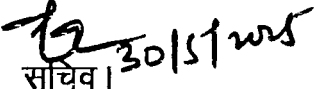
क्रमांक (09) में उल्लेखित कार्यकाल नियुक्ति के उपरान्त तीन वर्षों का होगा एवं क्रमांक (08) में उल्लेखित कार्यकाल भी तीन वर्ष होगा। इस बीच



क्रमांक (8) में उल्लेखित किसी सदस्य के द्वारा यदि राज्य मंत्री/मन्त्री/विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पदधारित किया जाता है तो उनकी सदस्यता समाप्त की दी जायेगी।

तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान यदि विधान सभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो वैसी स्थिति में भी बोर्ड से इनकी सदस्यता समाप्त मानी जायेगी।

उक्त प्रारूप एवं प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव महोदय एवं विभागीय माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

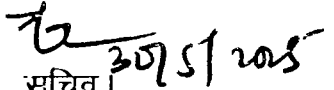

सचिव। 30/5/2025

ज्ञापांक :-18/विविध-05/2022- 11.3/.....(18) स्वा०, पटना, दिनांक-30/05/2025

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/सभी विभागों के प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव, बिहार के आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार बिहार के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-उप सचिव, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारवाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-ए०आर०टी० एवं सारोगेसी प्रभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव। 30/5/2025

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

॥ अधिसूचना ॥

राजिका संख्या 18/विधि-05/2022-1130.(18) स्वा०, पटना, दिनांक-30/05/2025

भारत सरकार के सहायक जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 12(2) एवं रारोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 35(2) में प्रदत्त अधिकारिता के अन्तर्गत उक्त अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम की धारा 12(3) एवं धारा 35(3) में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार राज्य में समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) का गठन निम्न रूपेण किया जाता है —

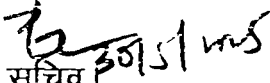
समुचित प्राधिकार :-

क्र० सं०	समिति के पदाधिकारियों का पदनाम	पद
1.	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार अथवा इनसे अन्योन्य स्तर के अधिकारी (i) विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष (पदेन)
2.	संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार अथवा इनसे अन्योन्य स्तर के अधिकारी (i) निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	राज्य सरकार के विधि विभाग से मनोनीत उप सचिव अथवा इनसे अन्योन्य स्तर के अधिकारी (i) श्री कृष्ण कुमार लाल, उप सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4.	प्राविधानित महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्राख्यात महिला (i) श्रीमती मजू सिन्हा, गुलमोहर मैत्री संस्था।	सदस्य
5.	एक विशेषज्ञ पजीकृत चिकित्सा व्यवसायी। (i) श्री अशुतोष सिंह, श्री साईं होस्पिटल, कंकडबाग, पटना, बिहार।	सदस्य

कार्य :-

- (1) सरोगेसी क्लिनिकों का पजीकरण प्रदान करना, निलंबित करना या रद्द करना।
- (2) सरोगेसी क्लिनिकों को नियम के तहत गानक के अनुरूप लागू करवाना।
- (3) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाये गये नियमों एवं विनियमनों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच करना तथा प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करना।
- (4) किसी व्यक्ति के द्वारा, खप्रेरणा से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त राज्ञान के आलोक में सरोगेसी के उपयोग के खिलाफ स्वतंत्र जाँच का उचित कानूनी कार्रवाई किया जाना।
- (5) बोर्ड/राज्य स्तरीय बोर्ड के द्वारा प्रौद्योगिकी या सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार नियमों एवं विनियमनों में आवश्यक संशोधन करने हेतु अनुशंसा करना।
- (6) सरोगेसी क्लिनिक के विरुद्ध पाये जाने वाले शिकायतों पर जाँचोपशान्त कानूनी कार्रवाई किया जाना।

उक्त प्रारूप एवं प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव महोदय एवं विभागीय माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

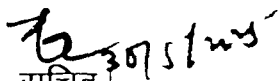

सचिव

ज्ञापक :-18/विविध-05/2022-1130..(18) स्वा०, पटना, दिनांक-30/05/2025

प्रतिलिपि :-उप सचिव, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजस्व विभाग, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/सभी विभागों के प्रधान सचिव के आप्त सचिव/राष्ट्रीय सचिव बिहार के आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार बिहार के आप्त सचिव/राष्ट्रीय सचिव, पदाधिकारी, बिहार/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-ए०आर०टी० एवं सरोगेसी प्रभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव